रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 508] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 14, 1989/श्रावण 23, 1911
No. 508] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 14, 1989/SRAVANA 23, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1989

का.आ. 642 (अ) :—संविधान की धारा 239 के अनुच्छेद (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में और विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अन्तर्गत शक्तियों और कृत्यों के निर्वाह संबंधी सभी पूर्व अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय इसके कि ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए अथवा छोड़े गए कृत्यों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, राष्ट्रपति एतद्द्वारा यह निर्देश देते हैं कि उनके नियंत्रणाधीन और आगामी आदेशों तक किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक (चाहे वह प्रशासक

मुख्य आयुक्त अथवा उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता हो) संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में "समुचित सरकार" के निम्न लिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वाह करेगा :—

I. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1) उक्त अधिनियम की धारा 55 की उप धारा (1) के परंतुक के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के अतिरिक्त, और

II. भूमि अधिग्रहण (कम्पनी) नियम, 1963।

[सं. यू-11030/1/89-यू.टी.एल.]
अशोक नाथ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 1989

S.O. 642(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution and in supersession of all previous notifications relating to the exercise of powers and functions under the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894) by the administrators of various Union territories, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby directs that subject to his control and until further orders, the powers and functions of the appropriate Government in relation to a Union territory shall also be exercised and discharged by the administrator of such Union territory (whether known as Administrator, Chief Commissioner or Lieutenant Governor) within the respective Union territory under,—

(i) the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894) except the functions exercisable by the Central Government under the proviso to sub-section (1) of section 55 of the said Act; and

(ii) the Land Acquisition (Companies) Rules, 1963.

[No. U-11030|1|89-UTL]
ASHOK NATH, Jt. Secy.